रजिस्ट्री सं० डी०ए० ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2987] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2019/भाद्र 21, 1941
No. 2987] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2019/BHADRA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

(आय-कर)

का.आ. 3264(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम ई-निर्धारण स्कीम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं—(1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(i) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ii) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ;

(iii) "निर्धारण" से अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण अभिप्रेत है ;

(iv) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 288 में यथापरिभाषित है ;

(v) "स्वचालित आबंटन प्रणाली" से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने की दृष्टि से, उपयुक्त प्रौद्योगिकीय टूल्स का उपयोग करते हुए, जिसके अंतर्गत कृत्रिम प्रबुद्धता और मशीनी लर्निंग है, का उपयोग करके मामलों का यदृच्छया आबंटन करने के लिए कोई कलन विधि अभिप्रेत है ;

(vi) "स्वचालित जांच टूल" से स्व:विवेक के परिमाण को कम करने की दृष्टि से, उपयुक्त प्रौद्योगिकीय टूल्स का उपयोग करते हुए, जिसके अंतर्गत कृत्रिम प्रबुद्धता और मशीनी लर्निंग है, का उपयोग करके प्रारूप आदेशों की जांच के लिए मानकीकृत कलन विधि अभिप्रेत है ;

(vii) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(viii) "कंप्यूटर साधन" का वही अर्थ है, जो उनका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है ;

(ix) "कंप्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ है, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है ;

(x) "निर्धारिती के कंप्यूटर संसाधन" में इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, आय-कर विभाग के अभिहित पोर्टल में निर्धारिती का रजिस्ट्रीकृत खाता, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर से संबद्ध मोबाइल ऐप या उसके ई-मेल सेवा प्रदाता के पास निर्धारिती का ई-मेल खाता सम्मिलित होगा ;

(xi) "अंकीय चिह्नक" से किसी इलैक्ट्रानिक विधि द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसरण में किसी प्रक्रिया द्वारा किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है ;

(xii) "अभिहित पोर्टल" से राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र के भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक द्वारा उस रूप में अभिहित वेब पोर्टल अभिप्रेत है ;

(xiii) "ई-निर्धारण" से अभिहित पोर्टल पर निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से ई-प्रसंस्करण प्रसुविधा में इलैक्ट्रानिक रूप से संचालित निर्धारण कार्यवाहियां अभिप्रेत है ;

(xiv) "इलैक्ट्रानिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ;

(xv) "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (नक) में उसका है;

(xvi) "ई-मेल" या "इलैक्ट्रानिकी मेल" और "इलैक्ट्रानिक मेल संदेश" से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति पर सृजित या पारेषित या प्राप्त कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पाठ, इमेज, श्रव्य, दृश्य और कोई अन्य इलैक्ट्रानिकी अभिलेख में संलग्नक सम्मिलित हैं, जिनका संदेश के साथ पारेषण किया जा सकता है ;

(xvii) "द्रुतान्वेषण फलन" और "द्रुतान्वेषण परिणाम" का वही अर्थ होगा, जो उनका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है ;

(xviii) "मोबाइल ऐप" से आय-कर विभाग का मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित अनुप्रयोग साफ्टवेयर अभिप्रेत हैं, जिसे निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर में डाउनलोड और प्रतिष्ठापित किया जा सकता है ;

(xix) "प्रवर्तक" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यक) में है ;

(xx) "वास्तविक समय सचेत" से निर्धारिती को उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर से संक्षिप्त संदेश सेवा के माध्यम से या उसकी मोबाइल ऐप पर किसी अपडेट के माध्यम से या उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर किसी ई-मेल के माध्यम से भेजी गई कोई संसूचना अभिप्रेत है जिससे उसे किसी इलैक्ट्रानिकी संसूचना के परिदान के संबंध में सचेत किया जा सके ।

(xxi) निर्धारिती का "रजिस्ट्रीकृत खाता" से अभिहित पोर्टल पर निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिकी फाइलिंग खाता अभिप्रेत है ;

(xxii) "रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता" से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर निर्धारिती को किसी इलैक्ट्रानिक संसूचना का परिदान या पारेषण किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं –

(क) अभिहित पोर्टल पर प्रेषिती का रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिकी फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ख) प्रेषिती द्वारा अंतिम आय-कर विवरणी में प्रस्तुत उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ग) प्रेषित से संबंधित स्थायी लेखा संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(घ) प्रेषिती के ऐसा व्यष्टिक होने की दशा में, जिसके पास आधार नंबर है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता ; या

(ङ) प्रेषिती के किसी कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी का ई-मेल पता ; या

(च) प्रेषिती द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता ।

(xxiii) निर्धारिती का "रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर" से निर्धारिती का या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिकी फाइलिंग खाते में उपयोक्ता प्रोफाइल में आने वाला मोबाइल नंबर अभिप्रेत है ;

(xxiv) "दृश्य टेलीफोनी" से लोगों के बीच वास्तविक समय में संचार के लिए विभिन्न अवस्थानों पर उपयोगकर्ताओं द्वारा श्रव्य-दृश्य संकेतों की प्राप्ति और पारेषण के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान अभिप्रेत है ।

(2) सभी शब्द और पद, जो इसमें अनुप्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।

3. स्कीम का विस्तार—इस स्कीम के अधीन निर्धारण ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामले या मामलों के वर्ग के संबंध में किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

4. **ई-निर्धारण केन्द्र**-(1) इस स्कीम के उद्देश्यों के लिए, बोर्ड निम्नलिखित को स्थापित कर सकेगा--

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र केन्द्रीयकृत रीति में ई-निर्धारण की कार्यवाहियों के प्रचालन को सुकर बनाएगी, जिसमें इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार निर्धारण को करने अधिकारिता निहित होगी;

(ii) क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र प्रधान मुख्य आयुक्त के काडर नियंत्रण क्षेत्र में ई-निर्धारण की कार्यवाहियों के प्रचालन को सुकर बनाएगी जो वह आवश्यक समझे जिसमें इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार निर्धारण को करने अधिकारिता निहित होगी;

(iii) निर्धारण इकाई ई-निर्धारण के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए जो वह आवश्यक समझे, निर्धारण करने के कृत्य का निष्पादन करेगी, जिसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन दायित्व (जिसके अंतर्गत प्रतिदाय है) का अवधारण करने के लिए बिन्दुओं या तात्विक सामग्री की पहचान, बिन्दुओं या इस प्रकार पहचाने गए मुद्दों पर सूचना या

स्पष्टीकरण की ईप्सा करना, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण और ऐसे अन्य कृत्य, जो निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों, का निष्पादन करेगी ।

(iv) सत्यापन यूनिट, ई-निर्धारण के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए जो वह आवश्यक समझे सत्यापन संबंधी कृत्यों का निर्वहन करेगी, जिसके अंतर्गत जांच, प्रति-सत्यापन, लेखा बहियों की परीक्षा, साक्षियों की परीक्षा और कथनों का लेखबद्ध किया जाना तथा ऐसे अन्य कृत्य सम्मिलित होंगे, जो सत्यापन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों ।

(v) तकनीकी यूनिट, ई-निर्धारण के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए जो वह आवश्यक समझे, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी कृत्यों का निर्वहन करेगी, जिसके अंतर्गत लेखांकन, न्यायालयीय, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन, अंतरण कीमत निर्धारण, डाटा एनालिटिक्स, प्रबंध या ऐसे किसी अन्य तकनीकी विषय के संबंध में सहायता या सलाह सम्मिलित है, जो इस स्कीम के अधीन किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के लिए अपेक्षित हो ।

(vi) पुनर्विलोकन यूनिट, ई-निर्धारण के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए जो वह आवश्यक समझे, प्रारूप निर्धारण आदेश के पुनर्विलोकन संबंधी कृत्य का निर्वहन करेगी, जिसके अंतर्गत यह जांच करना भी है कि क्या सुसंगत और सारवान साक्ष्य को अभिलेख पर लाया गया है अथवा नहीं, क्या तथ्य और विधि के सुसंगत बिंदुओं को सम्यक् रूप से प्रारूप आदेश में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं, क्या ऐसे मुद्दों पर, जिन पर परिवर्धन या नामंजूरी दी जानी चाहिए, प्रारूप आदेश में विचार-विमर्श किया गया है अथवा नहीं, क्या लागू न्यायिक निर्णयों पर विचार किया गया है और क्या उन्हें प्रारूप आदेश तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है अथवा नहीं, प्रस्तावित उपांतरणों, यदि कोई हों, के गणितीय रूप से सही होने के लिए जांच और ऐसे अन्य कृत्य भी सम्मिलित हैं, जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों,

और उसकी संबधित अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) निर्धारण ईकाई, पुनर्विलोकन ईकाई, सत्यापन ईकाई या तकनीकी ईकाई या किसी अन्य व्यक्ति के बीच सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्यों या किन्हीं अन्य ब्यौरों के संबंध में सभी संचार, जैसा कि इस स्कीम के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझा जाए, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र के माध्यम से होगा ।

(3) पैरा (1) के उप-पैरा (iii), (iv), (v) और (iv) में निर्दिष्ट इकाईयों में निम्नलिखित प्राधिकारी सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक;

(ख) यथास्थिति, उपायुक्त या उप निदेशक या सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक या आय-कर अधिकारी;

(ग) जिनकी ऐसे अन्य आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यकारियों और सलाहकार द्वारा सहायता की जाएगी, जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए।

5. ई-निर्धारण के लिए प्रक्रिया :

(1) इस स्कीम के अधीन, निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:--

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या विहित प्राधिकारी, धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती पर एक सूचना की तामील करेगा, जिसमें ऐसे मुद्दों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके आधार पर उसके मामले का निर्धारण के लिए चयन किया गया है;

(ii) निर्धारिती, उपखंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा;

(iii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र की किसी विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को इस स्कीम के अधीन ई-निर्धारण के प्रयोजन के लिए चयनित मामले को समनुदेशित करेगा;

(iv) जहां कोई मामला निर्धारण यूनिट को समनुदेशित किया जाता है, वहां वह राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से निम्नलिखित के लिए अनुरोध कर सकेगा,--

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से आगे ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करने ;

(ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता की ईप्सा करने ;

(v) जहां निर्धारण यूनिट द्वारा निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से आगे ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से आगे ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य की अध्यपेक्षा करते हुए उसे उपयुक्त सूचना या अध्यपेक्षा जारी करेगी ;

(vi) जहां निर्धारण यूनिट द्वारा सत्यापन यूनिट से कतिपय जांच या सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा ऐसे अनुरोध को एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र की किसी सत्यापन यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;

(vii) जहां निर्धारण यूनिट द्वारा तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता की ईप्सा करते हुए कोई अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा ऐसे अनुरोध को एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र की किसी तकनीकी यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;

(viii) निर्धारण यूनिट, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, निर्धारिती की विवरणी में दर्शित आय को स्वीकार करते हुए या निर्धारिती की विवरणी में दर्शित आय को उपांतरित करते हुए निर्धारण के आदेश के एक लिखित प्रारूप को तैयार करेगी और ऐसे प्रस्तावित प्रारूप आदेश के राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगी;

(ix) निर्धारण यूनिट, प्रस्तावित निर्धारण आदेश का प्रारूप तैयार करते समय, उसमें संस्थित की जाने वाली शास्तिक कार्यवाहियों के ब्यौरे भी, यदि कोई हो, उपलब्ध कराएगी;

(x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश की परीक्षा करेगी, जिसके अंतर्गत स्वचालित परीक्षा उपकरण के माध्यम से की गई परीक्षा भी है, तदुपरांत वह निम्नलिखित के संबंध में विनिश्चय कर सकेगी,--

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देने और ऐसे आदेश और संस्थित की जाने वाली शास्तिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, की सूचना, मांग सूचना सहित, की तामील करने और उसमें ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे शोध्य प्रतिदाय की किसी रकम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ; या

(ख) कोई उपांतरण प्रस्तावित किए जाने की दशा में, निर्धारिती को इस बात के लिए कारण बताओ सूचना की तामील करके एक अवसर उपलब्ध कराने कि प्रस्तावित प्रारूप आदेश के अनुसार निर्धारण प्रक्रिया को क्यों न पूरा कर लिया जाए ; या

(ग) प्रारूप आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र की किसी पुनर्विलोकन यूनिट को प्रारूप आदेश समनुदेशित करने ;

(xi) पुनर्विलोकन यूनिट, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी और तदुपरांत वह निम्नलिखित के संबंध में विनिश्चय कर सकेगी,--

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के संबंध में सहमति देने और ऐसी सहमति के संबंध में एन-ईएसी को संसूचित करने ; या

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में ऐसे उपांतरणों का सुझाव देने, जिन्हें वह उचित समझे और वह एन-ईएसी को इस संबंध में अपने सुझाव भेज सकेगी;

(xii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट से ऐसी सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, पैरा (x) के, यथास्थिति, उप-पैरा (क) या उप-पैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ;

(xiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट से उपांतरणों हेतु सुझाव प्राप्त करने के पश्चात्, उन्हें निर्धारण यूनिट को संसूचित करेगी;

(xiv) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाव दिए गए उपांतरणों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अग्रेषित करेगी;

(xv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात् पैरा (x) के, यथास्थिति, उप-पैरा (क) या उप-पैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी;

(xvi) निर्धारिती, उस दशा में, जहां उसे पैरा (x) के उप-पैरा (ख) के अधीन कारण बताओ सूचना की तामील की गई है, अपने प्रत्युत्तर को सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर या उससे पूर्व राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को प्रस्तुत करेगा;

(xvii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,--

(क) उस दशा में, जहां कारण बताओ सूचना को कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, वहां पैरा (x) के उप-पैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप प्रदान करेगी ; या

(ख) किसी अन्य दशा में निर्धारिती से प्राप्त प्रत्युत्तर को निर्धारण यूनिट को अग्रेषित करेगी ;

(xviii) निर्धारण यूनिट, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अग्रेषित करेगी;

(xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने के पश्चात्,--

(क) उस दशा में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश के प्रतिनिर्देश से निर्धारिती के हित के प्रतिकूल कोई उपांतरण प्रस्तावित नहीं है, वहां पैरा (x) के उप-पैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप प्रदान करेगी ; या

(ख) उस दशा में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश के प्रतिनिर्देश से निर्धारिती के हित के प्रतिकूल कोई उपांतरण प्रस्तावित किया जाता है, वहां पैरा (x) के उप-पैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारिती को एक अवसर प्रदान करेगी;

(ग) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के संबंध में पैरा (xvi), पैरा (xvii) पैरा (xviii) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगी;

(xx) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारण के पूर्ण होने के पश्चात् मामले के सभी इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का अंतरण ऐसे मामलों के ऊपर क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को निम्नलिखित के लिए करेगा:-

(क) शास्ति का अधिरोपण करने के लिए ;

(ख) मांग की वसूली और संग्रहण हेतु ;

(ग) गलतियों की परिशुद्धि हेतु ;

(घ) अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने हेतु ;

(ङ) यथास्थिति कमिश्नर (अपील), अपीलीय अधिकरण या न्यायालयों के समक्ष प्रतिप्रेषण रिपोर्ट की प्रस्तुति, या प्रस्तुत किए जाने वाली अन्य कोई रिपोर्ट या किए जाने वाले किसी अभ्यावेदन या पेश किए जाने वाले किसी अभिलेख के लिए ;

(च) न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करने और अभियोजन संस्थित करने के लिए संस्तुति प्राप्त करने के प्रस्ताव हेतु ।

(xxi) पैरा (xx) में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, निर्धारण के किसी प्रक्रम पर यदि आवश्यक समझे तो ऐसे मामले के ऊपर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामले का अंतरण कर सकेगा ।

6. अननुपालन के लिए शास्ति प्रक्रिया- (1) कोई यूनिट, निर्धारण प्रक्रियाओं के अनुक्रम में, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस स्कीम के अधीन जारी किसी सूचना, निदेश या आदेश का अननुपालन किए जाने पर यदि यह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो यथास्थिति ऐसे अन्य किसी व्यक्ति या निर्धारिती के विरुद्ध अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन किसी शास्ति प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए सिफारिश राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेज सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र , ऐसी सिफारिश की प्राप्ति पर यथास्थिति निर्धारिती या अन्य किसी व्यक्ति पर इस बात की अपेक्षा करने वाली कारण बताओ नोटिस तामील करवाएगी कि उस पर अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन शास्ति क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए ।

(3) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर को, यदि कोई हो, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा उस संबंधित यूनिट को भेजा जाएगा जिसने शास्ति के लिए सिफारिश की है ।

(4) उक्त यूनिट, यथास्थिति निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सौंपे गए प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए-

(क) शास्ति का प्रारूप आदेश तैयार करेगी और ऐसे प्रारूप की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी; या

(ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को सूचित करते हुए कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् शास्ति को छोड़ देगी ।

(5) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र उक्त प्रारूप आदेश के अनुसार शास्ति उद्गृहीत करेगी और उसकी एक प्रति यथास्थिति निर्धारिती या अन्य किसी व्यक्ति पर तामील करवाएगी ।

7. अपीलीय प्रक्रिया-इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा किए गए किसी निर्धारण के विरुद्ध अपील क्षेत्रीय अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी के ऊपर क्षेत्राधिकार रखने वाले कमिश्नर (अपील) के समक्ष होगी और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र से किसी संसूचना में कमिश्नर (अपील) को किये गये किसी निर्देश से ऐसे क्षेत्राधिकार वाला कमिश्नर (अपील) अभिप्रेत होगा ।

8. संसूचना का आदान-प्रदान अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग द्वारा होना - इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचनाओं का आदान-प्रदान अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से किया जाएगा ; और

(ख) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र , प्रादेशिक ई-निर्धारण केंद्रों और विभिन्न यूनिटों के बीच सभी आंतरिक संसूचनाओं का आदान-प्रदान अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से किया जाएगा।

9. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन- इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को, प्रवर्तक (प्रारंभकर्ता) के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उसके डिजिटल हस्ताक्षर को अंकित करते हुए अधिप्रमाणित किया जाएगा:

परंतु उस स्थिति में जहां प्रवर्तक (प्रारंभकर्ता) जो निर्धारिती या अन्य कोई व्यक्ति है, ऐसा अधिप्रमाणन उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा भी किया जा सकेगा ।

10. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का परिदान-(1) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या अन्य कोई इलैक्ट्रानिक संसूचना का, पाने वाले को जो निर्धारिती है, वास्तविक काल सतर्कता के पालन द्वारा निम्नलिखित माध्यम से परिदान किया जाएगा –

(क) उसकी अधिप्रमाणित प्रति निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत खाते (एकाउंट) में रख कर ; या

(ख) उसकी अधिप्रमाणित प्रति निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर भेज कर; या

(ग) निर्धारिती के मोबाइल एप पर उसकी अधिप्रमाणित प्रति अपलोड करके।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या अन्य कोई इलैक्ट्रानिक संसूचना, उसकी अधिप्रमाणित प्रति को पाने वाले को, जो कोई अन्य व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर वास्तविक काल सतर्कता के पालन द्वारा भेजने के माध्यम से परिदान की जाएगी ।

(3) निर्धारिती इस स्कीम के अधीन किसी नोटिस या आदेश या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक संसूचना के प्रति अपना उत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत खाता (एकाउंट) के माध्यम से फाइल करेगा,और उत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर जैसे ही राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा सृजित द्रुतान्वेषण परिणाम से अंतर्वलित अभिस्वीकृति भेजी जाती है, उत्तर को अधिप्रमाणित समझा जाएगा ।

(4) इलैक्ट्रानिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

11. केन्द्रों या यूनिटों में व्यक्तिगत रूप से उपसंजात न होना - (1) कोई व्यक्ति इस स्कीम के अधीन किसी प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र या प्रादेशिक ई-निर्धारण केंद्र या इस स्कीम के अधीन स्थापित किसी यूनिट में आयकर प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात होने के लिए अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) उस स्थिति में जहां प्रारूप निर्धारण आदेश में उपांतरण प्रस्तावित है, और निर्धारिती को इस बात की अपेक्षा करने वाली कारण बताओ नोटिस तामील करने के द्वारा यह अवसर प्रदान किया गया है कि ऐसे प्रारूप आदेश के अनुसार निर्धारण क्यों नहीं पूरा होना चाहिए, यथास्थिति निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हकदार होगा जिससे इस स्कीम के अधीन किसी यूनिट में आयकर प्राधिकारी के समक्ष मौखिक निवेदन कर सके या वह अपना मामला प्रस्तुत कर सके, और ऐसी सुनवाई अनन्य रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिसके अंतर्गत किसी दूरसंचार उपयोजन साफ्टवेयर का प्रयोग भी है, जो वीडियो टेलीफोनी को समर्थित करता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी ।

(3) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के विवरण की परीक्षा या अभिलेखन (धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण के दौरान अभिलिखित विवरण से भिन्न) इस स्कीम के अधीन सृजित किसी इकाई के आय-कर प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनन्य रूप से वीडियो कांफ्रेसिंग जिसके अंतर्गत किसी ऐसे टेलीकमन्यूकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर का उपयोगी भी है, जो वीडियो टेलीफोनी की सहायता से होता है, किया जाएगा ।

(4) बोर्ड, ऐसे स्थानों पर, जो आवश्यक हो, टेलीकमन्यूकेशन एप्लीकेशन साफ्टवेयर, जो वीडियो टेलीफोनी का सहायक होता है, सहित वीडियो कांफ्रेसिंग की उपयुक्त सुविधा स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या उपपैरा (2) या उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति केवल इस आधार पर कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति तक वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा प्राप्त नहीं थी, इस स्कीम के फायदे से इंकार नहीं करेगा ।

12. रूप विधान, पद्धति, प्रक्रिया और आदेशिका विनिर्दिष्ट करने की शक्ति

(1) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महा निदेशक निम्नलिखित के संबंध में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र और प्रादेशिक ई निर्धारण केन्द्रों और इस स्कीम के अधीन स्थापित इकाईयों के प्रभावी कार्यकरण के लिए मानक प्रक्रिया और आदेशिका, स्वचालित और यंत्रिरृत परिवेश में जिसके अतंर्गत रूप विधान, पद्धति, प्रक्रिया और आदेशिका विनिर्दिष्ट करना भी है, विनिर्दिष्ट करेगा :-

(i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील ;

(ii) नोटिस या किसी अन्य संसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्ति से किसी सूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्ति से किसी सूचना या दस्तावेज की प्राप्ति ;

(iii) व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर की पावति जारी करना ;

(iv) लाग-इन-अकाउंट सुविधा, निर्धारण की ट्रैकिंग प्रास्थिति, सुसंगत ब्यौरों का प्रदर्शन और डाउनलोड सुविधि सहित "ई-प्रोसिंडिंग" का उपबंध ;

(v) निर्धारण प्रक्रियाओं के दौरान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण सहित सूचना और प्रत्युत्तरों का निर्धारण, अधिप्रमाणन और सत्यापन;

(vi) केन्द्रीकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुनः प्राप्ति;

(vii) संबंधित केन्द्रों और इकाईयों में साधारण प्रशासन और शिकायत प्रतितोष तंत्र ।

[अधिसूचना सं. 61/2019/फा.सं.370149/154/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव